नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

- **उपस्थिति :-**
  1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
  3. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
  4. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  5. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0, मुंगेर।
  6. गुलाम मोहम्मद, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
  7. श्री के0के0 यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  8. श्री रविशंकर उराँव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
  9. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर।
  10. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
  11. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  12. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।
- **कार्यालय कार्यवश अथवा अवकाश के कारण अनुपस्थित पदाधिकारी :-**
  13. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
  14. श्री भानू प्रकाश, प्रभारी व0उ0समा0, आपदा प्रबंधन, मुंगेर।
  15. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0, बन्दोवस्त-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
  16. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
  17. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर।

दिनांक 23.07.13 से प्रारंभ होकर 22.08.13 तक चलनेवाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2013 में मुंगेर जिला अवस्थित सरकारी एवं निजी धर्मशालाओं में कॉवरियों/श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, शौचालय इत्यादि उपलब्ध सुविधाओं के नियमित अनुश्रवण करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता हेतु निम्न निदेश दिए गए :-

1. श्रावणी मेला अवधि में सरकार द्वारा कार्यान्वित विकासात्मक योजनाओं तथा उपायुक्त, देवघर के पत्रांक 1190, दिनांक 18.07.2013 से प्राप्त Map System से संबंधित सी0डी0 की पर्याप्त संख्या की प्रति कराते हुए दिनांक 23.07.2013 तक मनिया एवं कुमरसार (सरकारी) धर्मशाला तथा 13 सूचना केन्द्रों (प्रदर्शनी/झाँकी स्थल) में प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराने का निदेश जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को पूर्व में दिए जाने के बावजूद निरीक्षण के दौरान उपरोक्त सुविधाएँ नहीं पाई गई। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि मेला अवधि में यथोपयुक्त स्थानों पर सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाए।
2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुआ कि कॉवरिया पथ में लगाए गए 13 प्रदर्शनी/झाँकी स्थल में एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा जेनरेटर की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण कॉवरियों/श्रद्धालुओं द्वारा उक्त प्रदर्शनी/झाँकी में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है तथा कलाकार भी उपस्थित नहीं थे। अतः जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर उपरोक्त कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को संध्या 7:00 बजे तक अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को पूर्व में श्रावणी मेला हेतु विभाग द्वारा बांका जिला को उपलब्ध कराए गए पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि सामग्रियाँ को बांका जिला के प्रभारी पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पर्याप्त संख्या में प्राप्त कर सभी प्रदर्शनी/झाँकी स्थल पर अभी तक नहीं लगाए जाने के निमित्त

पुनश्च निदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.07.2013 तक निश्चित रू[illegible] उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लिए जाएँ।

4. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक प्रखंड स्तर किए जाने की तिथि माह अगस्त, 2013 में ही निर्धारित करते हुए आयोजित कराने का निदेश अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को दिया गया।
5. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
6. आर0टी0पी0एस0 अन्तर्गत संचालित लोक सेवाओं में अनाधिकृत संलिप्त अवैध व्यक्तियों (दलालों) को पकड़ने के लिए वरीय उपसमाहर्त्ता नियमित रूप से उपयुक्त समय पर छापेमारी करेंगे।
7. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मुंगेर जिलान्तर्गत किला क्षेत्र में अवस्थित खास महाल की खाली जमीन को चिन्हित करते हुए सुस्पष्ट विस्तृत आंकड़ा सहित प्रतिवेदनएक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।
8. स्थापना उपसमाहर्त्ता एवं आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि जिले में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी एवं कार्यपालक सहायक के पदों पर नियोजन हेतु प्राप्त आवेदनों को समेकनोपरान्त अर्हतायोग्य अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा की तिथि निर्धारित कर जिला सूचना केन्द्र में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर उपकरण व्यवस्थित कर आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. GP/PP/APP/SPP इत्यादि के मानदेय भुगतान मद में प्राप्त राशि, मांग के अनुरूप कम होने के कारण कई सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय भुगतान लंबित है। अतः प्रभारी वरीय उपमसमाहर्त्ता, जिला विधि शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मांग के अनुसार प्राप्त राशि के व्ययोपरान्त उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजते हुए अवशेष राशि की मांग करें।
10. प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर, नीलाम पत्र को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता देते हुए विद्युत विभाग से संबंधित सभी नीलाम पत्र वादों की अद्यतन सूची अंचल अधिकारियों से प्राप्त कर समेकित कर अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें ताकि उपरोक्त नीलाम पत्र वादों में सन्निहित राशि की वसूली की कार्रवाई यथाशीघ्र की जा सके।

इसके अतिरिक्त पूर्व निर्गत कार्यवाहियों में प्रदत्त निदेशों को पुनः उल्लेखित करते हुए नियमित अनुश्रवण/अनुपालन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित पदा0 को दिया गया :-

1. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह के वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल,